

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 4 दिसंबर 2023

उदघोषित : 9 अप्रैल 2024

सि.वा.(वाणि.) 229/2019

नोवार्टिस एजी और अन्य

.....वादीगण

द्वारा: श्री हेमंत सिंह, सुश्री ममता रानी
झा, श्री सिद्धांत शर्मा, श्री अभय
टंडन, श्री ऋषभ पालीवाल और
सुश्री गरिमा मेहता, अधिवक्तागण

बनाम

नैटको फार्मा लिमिटेड

..... प्रतिवादी

द्वारा: श्री जे. साई दीपक, श्री अफजल बी.
खान और श्री समिक मुखर्जी, श्री
डोमिनिक अलवारेस, श्री अविनाश
के. शर्मा, श्री विशाल नागपाल
अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. हरि शंकर

निर्णय

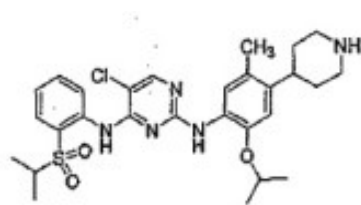
09.04.2024

अंत.आ. 4636/2023 (सि.प्र.सं. का आदेश XXXIX नियम 4)

1. यह निर्णय प्रतिवादी नैटको फार्मा लिमिटेड द्वारा दायर अंत.आ. 4636/2023 का निपटान योग्य वाद है, जिसमें नैटको के खिलाफ नोवार्टिस ए. जी. द्वारा स्थापित वर्तमान वाद में अंत.आ. 6384/2019 में 9 जनवरी 2023 के फैसले के माध्यम से न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम राहत को हटाने की मांग की गई थी।

विवादित मामला

2. सि.वा.(वाणि.) 229/2019 में विवाद, जिसमें वर्तमान आवेदन दायर किया गया है, जो भारतीय पेटेंट आई एन 276026 ("आई. एन. 026") (जिसे "वाद पेटेंट" भी कहा जाता है) इसके इर्द-गिर्द घूमता है, जिसका शीर्षक "प्रोटीन किनेज अवरोधक के वाद में नोवेल पाइरिमिडीन यौगिक और रचनाएँ" है। वाद के पेटेंट में दावा 1, 4 और 5 एक यौगिक का दावा करते हैं जिसका नाम आई यु पी ए सी सेरिटिनिब है। दावा 1 एक मार्कुश सूत्र का दावा करता है जिस पर सुझाए गए चुनिंदा प्रतिस्थापनों को लागू करके सेरिटिनिब तक पहुंचना संभव है, जिसे वाद के पेटेंट में दावा 4 के रूप में दावा किया गया है। वाद के पेटेंट के पूर्ण विनिर्देशों में सेरिटिनिब को विशेष रूप से उदाहरण 7 के रूप में दर्शाया गया है। सेरिटिनिब की आणविक संरचना इस प्रकार है:



3. प्रतिवादी निर्विवाद रूप से सेरिटिनिब का निर्माण और बिक्री खुले बाजार में करता है। इस प्रकार, प्रतिवादी वादी से लाइसेंस प्राप्त किए बिना वाद पेटेंट का उपयोग कर रहा था, जबकि वाद पेटेंट वैध था और प्रयोगरत था, वादी ने इस वाद के माध्यम से प्रतिवादी को वाद पेटेंट का उपयोग करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री की मांग की। वादी ने अं.आ. 6384/2019 भी दायर किया, जिसमें वाद के निपटारे तक प्रतिवादी को वाद के पेटेंट का उपयोग से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की गई।

4. 9 जनवरी 2023 के अपने निर्णय द्वारा, मैंने अंत.आ. 6384/2019 को अनुमति दी है और इस वाद में, प्रतिवादी को वर्तमान वाद के निपटारे तक, वाद के पेटेंट का फायदा उठाने से रोक दिया है। इसलिए प्रतिवादी ने सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 4 के तहत वर्तमान आवेदन अंत.आ.4636/2023 दायर किया है, जिसमें निषेधाज्ञा के अंतरिम आदेश को हटाने की मांग की गई है।

निषेधाज्ञा देने वाले आदेश का सार

5. प्रतिवादी नैटको ने अनिवार्य वाद से इस आधार पर वाद का विरोध किया कि एक वाद पेटेंट अमान्य होने की संभावना थी क्योंकि यह पूर्व दावे के साथ-साथ पूर्व प्रकटीकरण दोनों द्वारा प्रत्याशित था और पूर्व कला से स्पष्ट था, जो वाद पेटेंट की प्राथमिकता तिथि पर मौजूद था। इस उद्देश्य के लिए नैटको द्वारा उद्धृत पूर्व कला वादी की आई.एन. 252653 (आई.एन.653) और आई.एन. 240560 (आई.एन.560), एस्ट्राजेनेका की यू.एस. 7153964 (यू.एस.964) और यू.एस.8188276 (यू.एस.276), यू.एस. 8835430 (यू.एस.430), यू.एस. 9018204 (यू.एस.204) और रीगल की यू.एस. 9416112 (यू.एस.112) थी।

6. 9 जनवरी 2023 के निर्णय में मेरे द्वारा दिए गये तर्क की मुख्य विशेषताओं को इस प्रकार गिना जा सकता है, जिसके तहत नोवार्टिस को अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई थी।

(i) जीनस पेटेंट में मार्कुश के दावे को केवल उन यौगिकों का खुलासा करने के लिए कहा जा सकता है जिन्हें कला में कुशल व्यक्ति ('पीएसए' इसके बाद) द्वारा जीनस पेटेंट में निहित शिक्षाओं से संश्लेषित किया जा सकता है। प्रकटीकरण को प्रकृति में सक्षम बनाने की आवश्यकता थी। मार्कश सूत्र के साथ पी.एस.ए., प्रस्तावित प्रतिस्थापन, उस उत्पाद के गुणों के ज्ञान के साथ जिसे वह संश्लेषित करना चाहता था और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, एक पीएसए को जीनस पेटेंट में मार्कश सूत्र

से सूट पेटेंट में दावे पर पहुंचने की स्थिति में होना चाहिए। इस प्रकार, पूर्व कला से स्पष्टता ही, वह निर्णायक मानदंड था जिसके आधार पर न्यायालय यह पता लगाएगा कि क्या स्पीशीज पेटेंट में दावा जीनस पेटेंट में शिक्षाओं से स्पष्ट था।

(ii) तथ्य यह है कि, हालांकि जीनस पेटेंट कई वर्षों से अस्तित्व में था, लेकिन प्रजाति पेटेंट किसी के द्वारा संश्लेषित नहीं किया गया था, प्रथम दृष्टया संकेत दिया कि प्रजाति पेटेंट जीनस पेटेंट की शिक्षाओं से स्पष्ट नहीं था।

(iii) उद्धृत पूर्व कला में निहित शिक्षाओं से सेरिटिनिब की प्रत्याशा और स्पष्टता के पहलू की जांच करते हुए, व्यक्तिगत वाद से, मैंने पाया कि प्रतिवादी ने, वाद पेटेंट की स्पष्टता का आरोप लगाने के लिए उसके द्वारा उद्धृत पूर्व कला पेटेंटों में से प्रत्येक के संबंध में, सेरिटिनिब की आणविक संरचना पर पहुंचने के लिए, व्यक्तिगत पूर्व कला पेटेंटों में सुझाए गए कई प्रतिस्थापनों में से चयनित कणों को चेरी चुनने की प्रक्रिया के तहत, ऐसे प्रत्येक उद्धृत पूर्व कला में दावा किए गए मार्कुश भाग पर, सेरिटिनिब की आणविक संरचना पर पहुंचे।

(iv) प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान में या बार में दिए गए मौखिक प्रस्तुतीकरणों में या उसके समर्थन में प्रस्तुत लिखित प्रस्तुतीकरणों में कोई विशिष्ट कथन नहीं था, जिससे यह संकेत मिलता

हो कि प्रतिवादी प्रत्येक मामले में पूर्व कला पेटेंट में सुझाए गए कई प्रतिस्थापनों में से चयनित प्रतिस्थापन का चयन क्यों कर रहा था। दूसरे शब्दों में, प्रतिवादी प्रत्येक पूर्व कला पेटेंट के मामले में यह स्थापित करने में विफल रहा है कि पूर्व कला से संबंधित पूर्ण विनिर्देशों में अपेक्षित शिक्षा निहित है जो एक पीएसए को पूर्व कला में शिक्षाओं से, सूट पेटेंट में दावा 1, यानी, सेरिटिनिब तक पहुंचने के लिए सामान्य ज्ञान से लैस करने में सक्षम बनाती है।

(v) प्रतिवादी की दलील के आच्छादिकरण और प्रकटीकरण के बीच कोई अंतर नहीं था, इसे खारिज कर दिया गया। इस संदर्भ में मैंने पाया कि इस पहलू पर मैंने पहले ही एफएमसी कॉरपोरेशन बनाम बेस्ट क्रॉप साइंस एलएलपी और नोवार्टिस एजी बनाम नैटको फार्मा लिमिटेड के निर्णय में विस्तार से चर्चा की है।

(vi) यह केवल तभी संभव है जब वाद पेटेंट में दावा पूर्व कला में पूर्ण विनिर्देशों में निहित शिक्षाओं से पीएसए के लिए स्पष्ट हो, तभी वाद पेटेंट को प्रत्याशा और स्पष्टता के आधार पर अमान्यता के प्रति संवेदनशील माना जा सकता है।

(vii) वादी का तर्क था कि ज्ञात पूर्व कला से सेरिटिनिब को संश्लेषित करने में आविष्कारशील कदम, त्रि-प्रतिस्थापित एन -फेनिल रिंग (अमीन लिंकेज द्वारा कोर पिरिमिडीन मोइटी से जुड़ा हुआ) में था, जिसमें आर

या आर पर प्रतिस्थापनों में से एक (जैसा कि मार्कुश सूत्र में सुझाया गया है) पाइरोलिडिनिल या पिपेरिडिनिल या एज़ेटिडिनिल रिंग है, जो कार्बन-कार्बन बॉन्ड द्वारा एन-फेनिल रिंग से जुड़ा हुआ है। प्रतिवादी द्वारा उद्धृत पूर्व कला पेटेंट में से किसी ने भी कार्बन-टू-कार्बन बॉन्ड द्वारा एन²-फेनिल रिंग से पाइरोलिडिनिल, पिपेरिडिनिल या एज़ेटिडिनिल रिंग के किसी भी लिंकेज का खुलासा नहीं किया। प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों या तर्कों के दौरान और बाद में प्रस्तुत लिखित प्रस्तुतियों में ऐसा कोई दावा नहीं पाया गया।

(viii) प्रतिवादी का मुख्य निवेदन, बल्कि, यह था कि नॉन स्पेस कोशिका फेफड़े के कैंसर (एन.एस.सी.एल.सी.) चिकित्सा के रूप में ए. एल. के.-अवरोधकों पर चल रहे अध्ययन का विषय था और यह कि पहले के पेटेंट थे जो आविष्कारों का दावा करते थे जो उस संबंध में उपयोगी थे। मुझे यह तर्क वादी के इस दावे को बदनाम करने के लिए पर्याप्त नहीं लगा कि ज्ञात पूर्व कला से सेरिटिनिब तक पहुंचने में, पेटेंट अधिनियम की धारा 2 (1) (जक) के अर्थ के भीतर एक आविष्कारशील कदम शामिल था।

(ix) इसके अलावा, वादी ने यह भी तर्क देना चाहा है कि ए. एल. के.-निषेध चिकित्सा के रूप में काम करने वाली अन्य दवाओं की तुलना में, सेरिटिनिब में कम दुष्प्रभावों का लाभ था। यह, अपने आप में भी, पूर्व

कला की तुलना में एक आविष्कारशील कदम था, क्योंकि प्रतिकूल दुष्प्रभावों का दमन कीमोथेरेपी में महत्वपूर्ण विषय है।

(x) इन सभी कारणों से,वाद के पेटेंट में दावे, विशेष रूप से दावा 1, 4 और 5 नवीन और आविष्कारशील पाए गए, जो पेटेंट अधिनियम की धारा 2(1)(ज) और 2(1)(जक) को संतुष्ट करते हैं।

(xi) प्रतिवादी का यह दावा कि वादी इस वाद के पेटेंट में दावों के एक्स-रे विवर्तन पैटर्न और सेरिटिनिब का खुलासा करने के लिए बाध्य था, **मर्क शार्प एंड डोहमे कॉर्पोरेशन बनाम ग्लेनमार्क** में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय के मददेनजर भी निराधार पाया गया, जिसमें कहा गया है कि सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत आवेदन के निर्णय के चरण में न्यायालय एक्स-रे विवर्तन पैटर्न की जांच नहीं कर सकता है।

(xii) प्रतिवादी की इस तथ्य पर निर्भरता कि, यू. एस. के 592 पेटेंट के लिए पेटेंट अवधि विस्तार (पी. टी. ई.) के लिए अपने आवेदन में, वादी ने कहा था कि यू. एस. के 592 ने दावा किया था कि सेरिटिनिब भी आधारहीन पाया गया था। यूएस'592 के संबंध में वादी द्वारा दायर पीटीई आवेदन के समग्र अध्ययन से संकेत मिलता है कि यूएस'592 ने सेरिटिनिब का दावा किया था, यह कथन केवल इसलिए बनाया गया था क्योंकि यूएस'592 में दावा किए गए मार्कुश मोइटी में सुझाए गए

प्रतिस्थापनों में से चुनिंदा प्रतिस्थापनों को लागू करके, कोई व्यक्ति सेरिटिनिब तक पहुँच सकता है। दूसरे शब्दों में, केवल इतना कहा गया था कि यूएस'592 में मार्कुश दावे के अंतर्गत सेरिटिनिब को कवर किया गया था।

(xiii) प्रतिवादी ने इस तथ्य पर भी भरोसा करने की कोशिश की कि उसके द्वारा उद्धृत पूर्व कलाओं का उल्लेख वादी द्वारा ज़िकादिया के लिए नई दवा स्वीकृति (एन डी ए) प्राप्त करने के लिए दायर आवेदन में किया गया था, जो कि ब्रांड नाम था जिसके तहत सेरिटिनिब को अमेरिका में बेचा गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यू.एस.सी. § 355(ख)(1) के अनुसार आवेदक को एन डी ए आवेदन के साथ उन सभी पेटेंटों की संख्या और समाप्ति तिथियों को दर्ज करना आवश्यक था जिनके संबंध में पूर्व कला के धारक उल्लंघन का दावा कर सकते थे यदि वह दवा, जिसके लिए एन डी ए की मांग की जा रही थी, पूर्व कला पेटेंट धारक से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी के द्वारा निर्मित या बेची गई थी। इस प्रकार, एन डी ए में पूर्व कला का संदर्भ पूर्व कला में सेरिटिनिब के कवरेज का भी संकेत था।

7. इन सभी कारणों से, प्रतिवादी का यह निवेदन कि वाद पेटेंट अधिनियम की धारा 64 के साथ पठित धारा 107 के अर्थ के भीतर अयोग्यता के वाद असुरक्षित था, *प्रथमदृष्टया* सारहीन पाया गया। तदनुसार, प्रतिवादी को

वादी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना वाद पेटेंट का दोहन करने या सेरिटिनिब का निर्माण या बिक्री करने से रोक दिया गया था।

वर्तमान आवेदन में प्रतिवादी का रुख

8. सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 4 के तहत वर्तमान आवेदन, योग्यता के आधार पर, उपरोक्त निष्कर्षों में से किसी की शुद्धता का विरोध नहीं करता है, जिसके आधार पर अंतर्वर्ती निषेधाज्ञा दी गई है और अंत.आ. 6384/2019 की अनुमति दी गई है।

9. वर्तमान आवेदन में आग्रह किया गया एकमात्र आधार यह है कि वादी ने वाद पेटेंट के लिए आवेदन में दावों की एकता के संबंध में पेटेंट नियंत्रक द्वारा उठाई गई आपत्ति पर, वाद पेटेंट में कुछ दावों के संबंध में आई. एन. 5338/डी. ई. एल. एन. पी./2014 के मुकदमा में एक विभागीय आवेदन दायर किया था।

10. श्री जे. साई दीपक ने प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा वाद पेटेंट की वैधता को चुनौती देने के लिए उठाई गई आपत्तियाँ - जिन्हें 9 जनवरी 2023 के आदेश द्वारा प्रथम दृष्टया अस्वीकृत किया गया है - पेटेंट कार्यालय द्वारा प्राथमिकी रिपोर्ट में वादी द्वारा दायर विभागीय आवेदन पर आपत्ति जताते हुए उठाई गई थीं। श्री साई दीपक ने प्रस्तुत किया कि, चूंकि विभागीय आवेदन को अंततः अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए वादी पर यह दायित्व था कि वह

विभागीय आवेदन दाखिल करने के साथ-साथ इस तथ्य का भी खुलासा करे कि इसे अंततः अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि इससे उस प्रथम दृष्टया मामले पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा जिसके लिए वादी अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त करने का आग्रह कर रहा है।

11. अपने निवेदन के समर्थन में, श्री साई दीपक ने मुझे विभागीय आवेदन में मूल शिकायतों के साथ-साथ नियंत्रक द्वारा उठाई गई आपत्तियों के परिणामस्वरूप कम किए गए दावों के बारे में बताया, ताकि यह बताया जा सके कि जो दावे बचे हुए थे, वे वाद पेटेंट में दावों के समान थे। दावों में कमी के बाद भी, उन्होंने बताया कि नियंत्रक ने कम किए गए 16 दावों के जवाब में जारी अपने प्राथमिकी रिपोर्ट में मूल दावों के खिलाफ आपत्तियों को दोहराया। इसके बाद, वादी ने नियंत्रक को सूचित किया कि वह अपने विभागीय आवेदन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। इसलिए, नियंत्रक द्वारा विभागीय आवेदन को 16 दिसंबर 2022 के आदेश के अनुसार अस्वीकार कर दिया गया।

12. श्री साई दीपक प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि इनकार पेटेंट अधिनियम की धारा 15-8 के तहत किया गया था, इसलिए यह विभागीय आवेदन को परित्याग के समान नहीं होगा, लेकिन इसे गुण-दोष पर निर्णय के रूप में माना जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में, वह प्रस्तुत करता है कि (i) विभागीय आवेदन और इस आवेदन के लिए नियंत्रक द्वारा जारी प्राथमिकी रिपोर्ट (ii) विभागीय आवेदन को घटाकर 16 दावों के रूप में, (iii) उक्त कम किए गए

दावों के जवाब में जारी प्राथमिकी रिपोर्ट और (iv) पेटेंट अधिनियम की धारा 15 के तहत विभागीय आवेदन को खारिज करने वाला अंतिम आदेश, सभी प्रासंगिक दस्तावेज थे जो शिकायत में छिपे हुए हैं।

13. श्री साई दीपक प्रस्तुत करते हैं कि संशोधित दावे में सेरिटिनिब को यौगिक 66 के रूप में दावा किया गया था। विभागीय आवेदन को छोड़कर, सेरिटिनिब सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हो गया। द. श्री साई दीपक प्रस्तुत करते हैं कि इन तथ्यों का खुलासा करने में विफलता, 9 जनवरी 2023 के आदेश को दूषित करती है, जिसे इस न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अज्ञानता में पारित किया गया था।

14. श्री साई दीपक ने कहा कि यह एकमात्र तथ्य 9 जनवरी 2023 के आदेश को रद्द करने को उचित ठहराता है।

15. जवाब में, श्री हेमंत सिंह ने पेटेंट अधिनियम की धारा 16 की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसके अनुसार विभागीय आवेदन के अस्तित्व में बने रहने के लिए, उसमें ऐसे दावे शामिल होने चाहिए जो मूल आवेदन के दावों के समान न हों। उन्होंने कहा कि वादी के विभागीय आवेदन को इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वादी ने उस पर मुकदमा चलाने का विकल्प नहीं चुना था। इसे गुण-दोष के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार, यह वाद पेटेंट ही है जो विभागीय आवेदन को अमान्य कर

सकता है, न कि इसके विपरीत कर सकता है । किसी विभागीय आवेदन के भाग्य का वाद पेटेंट पर कोई असर नहीं हो सकता।

16. इसके अलावा, वह प्रस्तुत करता है कि 9 जनवरी 2023 का आदेश किसी भी तरह से, विभागीय आवेदन की स्थिति से प्रभावित नहीं था।

17. श्री हेमंत सिंह ने आगे कहा कि दमन और छिपाव नियम XXXIX नियम 4 सि.प्र.सं. के तहत अंतरिम आदेश को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है, जहां पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश दिया गया था। वह इस उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश में *रविशंकर बनाम सातवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश* और न ही प्रतिवादी अनुचित कठिनाई का अनुरोध कर सकता है क्योंकि अपूरणीय क्षति की संभावना उन कारकों में से एक थी जिन पर इस न्यायालय द्वारा 9 जनवरी 2023 को वादी को अंतरिम निषेधाज्ञा देते हुए आदेश पारित करते समय विचार किया गया था। इसलिए, सि.प्र.सं.के आदेश XXXIX नियम 4 के अर्थ के अंतर्गत, अनावश्यक कठिनाई अनिवार्य रूप से उस कठिनाई को संदर्भित करती है जो अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश के पारित होने के बाद उत्पन्न हुई थी।

18. श्री हेमंत सिंह आवेदनों और उन पर निर्णयों के क्रम का पता लगाने के लिए आगे बढ़े, जिसका समापन 16 फरवरी 2022 को विभागीय आवेदन में पारित आदेश में हुआ। वह प्रस्तुत करता है कि 19 जून 2008 को वादी द्वारा

दायर मूल पी. सी. टी. आवेदन में 20 दावे थे। इनमें से सात दावे मंजूर किए गए, जिन्हें वाद पेटेंट में शामिल किया गया था। नियंत्रक द्वारा जारी 12 नवंबर 2013 के प्राथमिकी में, वाद पेटेंट वाद आवेदन के जवाब में, आविष्कार की एकता की अनुपस्थिति में और पेटेंट अधिनियम की धारा 10 (5) के परिणामी उल्लंघन के बारे में आपत्ति पैरा 2 में ली गई थी। प्राथमिकी ने अंतरिम निषेधाज्ञा देते हुए तीन पूर्व कलाओं, अर्थात् डब्ल्यू. ओ. '454, डब्ल्यू. ओ.' 894 और डब्ल्यू. ओ. '940 पर भी भरोसा किया, जिन पर इस न्यायालय द्वारा 9 जनवरी 2023 के आदेश में पहले ही विचार किया जा चुका है। वादी, 3 जून 2013 को नियंत्रक के प्र.प.रि. को दिए गए अपने जवाब में, प्र.प.रि. में निहित अस्वीकृति के आधारों की वैधता को स्वीकार किए बिना, पेटेंट अधिनियम की धारा 57 (6) के तहत लंबित दावों को संशोधित करने के लिए सहमत हुए। अतः दावे थे इसके बाद, 19 नवंबर 2015 को अपनी लिखित प्रस्तुति में, वादी ने दावों को घटाकर 7 कर दिया, जिन्हें अंततः स्वीकार कर लिया गया।

19. श्री हेमंत सिंह बताते हैं कि 26 जुलाई 2014 के संभागीय आवेदन में, सभी 20 पी. सी. टी. दावे दायर किए गए थे। संभागीय आवेदन के वाद प्र.प.रि. नियंत्रक द्वारा 25 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था, जबकि वादों का पेटेंट 28 सितंबर 2016 को दिया गया था। प्र.प.रि. में, आपत्तियों में से एक यह थी कि विभागीय आवेदन के दावे 1 से 20 की विषय वस्तु मूल आवेदन के

साथ विरोधाभासी है और इसलिए, पेटेंट अधिनियम की धारा 16 के तहत इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्र.प.रि. ने एक बार फिर उन्हीं पूर्व कला पेटेंटों का हवाला दिया, जैसा कि मूल पेटेंट आवेदन के जवाब में जारी प्र.प.रि. में उद्धृत किया गया था, और जिन पर इस न्यायालय द्वारा 9 जनवरी 2023 को आदेश पारित करते समय पहले ही विचार किया जा चुका है। डब्ल्यू. ओ.'454, डब्ल्यू. ओ. 894 और डब्ल्यू. ओ.'980 । वादी, प्र.प.रि. को अपने जवाब में, दावों को घटाकर 16 करने पर सहमत हुए, ताकि वे वाद पेटेंट में दावों को लेकर टकराव न करें। हालाँकि, चूंकि दोनों एक ही पी. सी. टी. दावे से उत्पन्न हुए थे, इसलिए कम किए गए दावे में सेरिटिनिब शामिल था।

20. नियंत्रक द्वारा धारा 16 के लिए उठाई गई आपत्ति, 11 नवंबर 2022 को वादी को जारी व्यक्तिगत सुनवाई नोटिस में बनी रही। इन परिस्थितियों में वादी ने 9 दिसंबर 2022 को अपने द्वारा जारी संचार में नियंत्रक को सूचित किया कि वह आवेदन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। यह वह निर्णय था जिसके परिणामस्वरूप 16 फरवरी 2022 को आदेश जारी किया गया, जिसमें पेटेंट अधिनियम की धारा 15 के तहत आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया।

21. इसलिए, श्री हेमंत सिंह के प्रस्तुतीकरण में उक्त इनकार किसी भी तरह से वर्तमान मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 9 जनवरी 2023 के आदेश को प्रभावित नहीं करता है या इसके निरस्तीकरण या संशोधन का मामला नहीं बनाता है।

विश्लेषण

विभागीय आवेदन योग्यता के आधार पर अस्वीकार नहीं किया गया

22. श्री साई दीपक के निवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और इसका एक बहुत ही सरल कारण है। वादी द्वारा दायर विभागीय आवेदन अंत.आ. 5338/डी. ई. एल. एन. पी./2014 को गुण-दोष के आधार पर खारिज नहीं किया गया था। विभागीय आवेदन के खिलाफ प्र.प.रि. में उठाई गई आपत्तियों पर पेटेंट कार्यालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विभागीय आवेदन में पारित आदेश इस प्रकार है:

“आवेदकों को 12/12/2022 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था। हालाँकि, आवेदक ने आपत्तियों का अनुपालन नहीं किया है और अधिवक्ता सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए, जिसकी पुष्टि आवेदक द्वारा 09/12/2022 को दायर किए गए पत्राचार से भी हुई, जिसमें आवेदक द्वारा सुनवाई में उपस्थित न होने की सूचना दी गई थी और आवेदक ने वहाँ कहा था कि वह आवेदन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। इन सबके मद्देनजर पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 15 के तहत पेटेंट 5338/डी ई एल एन पी /2014 के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है।”

23. यह स्पष्ट है कि विभागीय आवेदन, इसलिए, गुण-दोष के आधार पर अस्वीकार नहीं किया गया था, बल्कि इसलिए अस्वीकार किया गया था कि आवेदक ने स्वयं आगे बढ़ने का विकल्प नहीं चुना था। विभागीय आवेदन को

आगे न बढ़ाने के निर्णय को, किसी भी तरह से, पेटेंट कार्यालय द्वारा विभागीय आवेदन के विरुद्ध उठाए गए प्र.प.रि. में निहित आपत्तियों की योग्यता को स्वीकार करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऐसे असंख्य कारण हो सकते हैं कि कोई दल विभागीय आवेदन को आगे बढ़ाने का विकल्प क्यों नहीं चुनता है। विभागीय आवेदन को आगे न बढ़ाने का निर्णय वादी को उन आधारों पर चुनौती देने से नहीं रोक सकता, जिन पर प्रतिवादी द्वारा वाद के पेटेंट की वैधता पर सवाल उठाया गया था।

24. श्री साई दीपक ने यह भी तर्क देना चाहा कि यद्यपि विभागीय आवेदन पर आदेश वादी द्वारा आवेदन को आगे नहीं बढ़ाने के निर्णय के परिणामस्वरूप पारित एक आदेश प्रतीत होता है, यह वास्तव में गुण-दोष पर इनकार का आदेश था, क्योंकि यह पेटेंट अधिनियम की धारा 15 के तहत पारित किया गया था।

25. इसलिए, श्री साई दीपक ने दलील दी कि वादी के विभागीय आवेदन को अस्वीकार करने का निर्णय लेने से, प्र.प.रि. में पेटेंट कार्यालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों की पुष्टि की जानी चाहिए।

26. प्रस्तुतिकरण को प्रभावित करने में विफल रहा है।

27. मेरी राय में, विभागीय आवेदन पर अस्वीकृति के आदेश को उसमें बताए गए आदेश से अधिक नहीं पढ़ा जा सकता है। स्पष्ट रूप से, पेटेंट कार्यालय

द्वारा उठाई गई प्र.प.रि. में निहित आपत्तियों पर गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं है। इसलिए, वादी की ओर से विभागीय आवेदन का संदर्भ देने में की गई चूक, किसी भी तरह से मामले के प्रथम दृष्टया गुण-दोष पर गंभीर प्रभाव नहीं डाल सकती है। ना ही यह कहा जा सकता है कि यदि विभागीय आवेदन और उसके परिणाम का खुलासा किया गया होता, तो वादी के अंतरिम आवेदन पर निर्णय अन्यथा होता।

28. स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी के आदेश XXXIX नियम 4 आवेदन का पूरा आधार विभागीय आवेदन है जो वादी द्वारा दायर किया गया था। उस आवेदन को अंततः आगे नहीं बढ़ाया गया और तदनुसार अस्वीकार कर दिया गया। पेटेंट अधिनियम की धारा 15 का संदर्भ निर्णय को विभागीय आवेदन में दावों के गुण-दोष पर निर्णय में परिवर्तित नहीं कर सकता है। न्यायालय को विभागीय आवेदन पर उसी रूप में निर्णय लेना है, जैसा कि वह है और इस तरह देखा जाता है, यह स्पष्ट है कि आवेदन को "अस्वीकार" नहीं किया गया था क्योंकि यह योग्यताहीन पाया गया था, बल्कि इसलिए कि वादी ने इसे आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय किया था।

यह मानते हुए, तर्क देते हुए कि विभाजन आवेदन पर निर्णय को गुण-दोष के आधार पर माना जाना था

29. भले ही यह माना जाए कि विभागीय आवेदन पर आदेश में धारा 15 का संदर्भ आदेश को आवेदन के गुण-दोष को दर्शाने के लिए पढ़ने को उचित

ठहराएगा, फिर भी मैं श्री साई दीपक से सहमत नहीं हूँ कि निर्णय वर्तमान मामले में वादी को दिए गए अंतरिम निषेधाज्ञा को वापस लेने या छुट्टी देने को उचित ठहराएगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि नियंत्रक का निर्णय न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, तथा अधिक से अधिक यह एक ऐसा कारक है जिसे न्यायालय ध्यान में रख सकता है, भले ही इसे गुण-दोष पर आधारित राय माना जाए। जब, गुण-दोष के आधार पर स्वतंत्र विश्लेषण करने पर, इस न्यायालय ने पाया है कि वाद का पेटेंट, पेटेंट अधिनियम की धारा 64 में उल्लिखित किसी भी आधार पर अमान्य नहीं हो सकता, तो नियंत्रक की राय को इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने या उसे पलटने के लिए आधार के रूप में उद्धृत करना कठिन है। यह इस न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश को उलटने के लिए बुलाए जाने के समान होगा क्योंकि उसके द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण पदानुक्रमित रूप से निचले न्यायालय के निर्णय के विपरीत है, जिसे उसके संज्ञान में नहीं लाया गया था।

30. इसलिए, मैं विभागीय आवेदन की बारीकियों या वादी द्वारा दायर मूल आवेदन के संबंध में इसकी वैधता या मान्यता पर चर्चा करना आवश्यक नहीं समझता, जिसके परिणामस्वरूप वाद पेटेंट प्रदान किया गया। यह याद रखना होगा कि विभागीय आवेदन के खिलाफ प्र.प.रि. में नियंत्रक द्वारा उद्धृत पूर्व कलाओं पर मैंने 9 जनवरी 2023 का निर्णय विचार किया है, जिसके द्वारा वादी को अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई थी। यहां तक कि अगर विभागीय आवेदन

से संबंधित तथ्यों का खुलासा किया गया था, तो भी अंत.आ. 6384/2019 के परिणाम में कोई अंतर होने की संभावना नहीं है। इसलिए, वादी की ओर से उपरोक्त तथ्य का खुलासा करने में विफलता को 9 जनवरी 2023 के आदेश की समीक्षा को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

आदेश XXXIX नियम 4 का दूसरा प्रावधान

31. इसके अलावा, सि.प्र.सं.के XXXIX नियम 4 के आदेश के लिए दूसरा परंतुक सि.प्र.सं.के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत एक अंतर्वर्ती निषेधाज्ञा आदेश के किसी भी पुनर्विचार को प्रतिबंधित करता है, प्रतिवादी को सुनने के बाद आदेश पारित किया गया था, सिवाय इसके कि क्या परिवर्तन परिस्थिति में बदलाव के कारण आवश्यक है या क्या आदेश ने प्रतिवादी को अनुचित कठिनाई का कारण बनाया है। यद्यपि वर्तमान आवेदन में एक कथन है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण इसकी आवश्यकता पड़ी है, लेकिन कथन किसी भी तथ्य द्वारा समर्थित नहीं है। चूंकि विभागीय आवेदन और इसका परिणाम 9 जनवरी 2023 के आदेश के पारित होने से बहुत पहले था, वे सि.प्र.सं.के आदेश XXXIX नियम 4 के अर्थ के भीतर "परिस्थितियों में परिवर्तन" नहीं कर सकते हैं।

32. ना ही प्रतिवादी वैध रूप से यह दावा कर सकता है कि 9 जनवरी 2023 के आदेश के परिणामस्वरूप उसे बेवजह कठिनाई हुई है, क्योंकि यह आदेश प्रतिवादी द्वारा दिए गए सभी प्रस्तुतियों के गहन विश्लेषण के बाद पारित

किया गया था, और यह प्रथम दृष्टया विचार व्यक्त करने के बाद, तथ्यों और कानून पर चिंतन करने के बाद, प्रतिवादी द्वारा दिए गए किसी भी आधार पर या सेवा में लाने के लिए मांगे गए प्रतिवादी द्वारा किसी भी पूर्व कला पेटेंट के आधार पर वाद पेटेंट अमान्य होने के लिए असुरक्षित नहीं था।

संभागीय अनुप्रयोग का परिणाम दिनांक 9 जनवरी 2023 के आदेश में तथ्य के निष्कर्षों को प्रभावित नहीं करता है।

33. वास्तव में, इन सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने पहले ही पाया है कि वाद पेटेंट अमान्यता के प्रति संवेदनशील नहीं है, इसलिए स्पष्ट रूप से श्री साई दीपक द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुति के आधार पर उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, जो विभागीय आवेदन और उसके परिणाम पर आधारित है। प्रतिवादी द्वारा उद्धृत किसी भी कारण से वाद पेटेंट के अमान्यता के प्रति संवेदनशील नहीं होने के बारे में निष्कर्ष अछूते और अप्रभावित बने रहेंगे, भले ही विभागीय आवेदन और उसके अंतिम परिणाम को ध्यान में रखा जाए।

तथ्य का दमन

34. *भौतिक तथ्यों के दमन के पहलूओं का विस्तार किया जाना, राहत संबंधी आवेदन के लिए घातक है, सर्वोच्च न्यायालय ने एस जे एस बिजनेस एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य में इस प्रकार माना है:*

“13. एक सामान्य नियम के रूप में, किसी वादी द्वारा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को दबाना, वादी को किसी भी राहत प्राप्त करने से अयोग्य घोषित करता है। यह नियम न्यायालयों की आवश्यकता को देखते हुए विकसित किया गया है ताकि वादी को न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके धोखा देने से रोका जा सके। लेकिन दबाया गया तथ्य इस अर्थ में महत्वपूर्ण होना चाहिए कि अगर इसे दबाया नहीं गया होता तो इसका मामले के गुण-दोष पर प्रभाव पड़ता। यह ऐसा मामला होना चाहिए जिसे न्यायालय महत्वपूर्ण मानता है , चाहे न्यायालय ने जो भी दृष्टिकोण अपनाया हो [आर. बनाम जनरल कमर्श. फॉर द परपस ऑफ़ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कैसिंग्टन]”

35. इसलिए, यह केवल एक ऐसे तथ्य का दमन है जो, यदि सामने आ गया, तो मामले के परिणाम को बदल देगा, जिसे एक भौतिक तथ्य के रूप में माना जा सकता है, जो अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश पर पुनर्विचार को उचित ठहराएगा।

विभागीय आवेदन को अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध होने के लिए सेरिटिनिब की पुनः याचिका

36. यह दलील कि विभागीय आवेदन के अस्वीकार होने के साथ ही सेरिटिनिब सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग के लिए उपलब्ध हो गई, इसको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। विभागीय आवेदन के “अस्वीकरण” से न तो वास्तव में और न ही कानून के अनुसार, वाद पेटेन्ट समाप्त हो जाता है। सेरिटिनिब के लिए पेटेन्ट का दावा वाद के पेटेन्ट में स्वीकृत है और जब तक

वाद पेटेन्ट अमान्य नहीं हो जाता, तब तक पेटेन्ट वैध बना रहता है। इसलिए, वाद पेटेन्ट के जीवनकाल के दौरान किसी तीसरे पक्ष द्वारा सेरिटिनिब का कोई भी उपयोग, वाद के पेटेन्ट का उल्लंघन करता है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। श्री हेमंत सिंह ने अपनी दलील में इस बात को स्पष्ट रूप से रखा कि यह विभागीय आवेदन है जो वाद के पेटेन्ट पर निर्भर है, यह इसके प्रतिकूल नहीं है ।

37. दिनांक 9 जनवरी 2023 के आदेश में निष्कर्षों को देखते हुए, विभागीय आवेदन से संबंधित तथ्यों का खुलासा करने में विफलता को ऐसा नहीं माना जा सकता है जो निषेधाज्ञा के अर्थ को रद्द करने का औचित्य सिद्ध करे।

निष्कर्ष

38. उपर्युक्त कारणों से, वर्तमान आवेदन असफल हो जाता है और खारिज किया जाता है।

न्या. सी हरि शंकर

9 अप्रैल, 2024

वाईजी/डीएसएन/आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।